न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/46

1. पांची बाई पत्नी सुवानाथ जाति नाथ ।
2. भैरू आत्मज सुवानाथ जाति नाथ ।
3. बद्री आत्मज सुवानाथ जाति नाथ निवासी ग्राम धानू गॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी बेवा मोजीराम जाति नाथ ।
2. भंवर लाल उर्फ भूरिया आत्मज श्योजी नाथ निवासीगण ग्राम धानू गॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 कस्तूरी बाई के पति ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धानुगॉव तहसील नैनवा में भूमि आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 36 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 37 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । इसके अलावा इसी ग्राम में खसरा नम्बर 82 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 91/1522 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 1325 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 03 की रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी का 2/3 हिस्सा व प्रत्यर्थी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा निहित है । सुविधा अनुसार पक्षकारान सम्मिलित रूप से पृथक–पृथक रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अप्रार्थी के मन में बदनियति आ गई और वह प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः अप्रार्थीगण क्रम 1 से 3 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी को बल पूर्वक बदेखल नहीं करे, भूमि को नष्ट, भ्रष्ट नहीं करे व अन्य किसी भी प्रकार से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि से प्रार्थी के 2/3 हिस्से पर प्रार्थी के सम्मिलित हक व आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं ही करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.10.2012 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2012 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 1 से 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम खातेदार के रूप में अवश्य अंकित है परन्तु उक्त भूमि पारिवारिक बंटवारे में अपीलान्ट के पूर्वजों को प्राप्त हुई थी तभी से अपीलान्ट एवं उनके पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । इस तथ्य को दोनों पक्षों की शहादत के उपरान्त साबित किया जा सकता था । अधीनस्थ न्ययालय द्वारा प्रार्थी मोजीराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वकील की नियुक्ति कर रखी थी परन्तु उन्होंने उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व वकील के स्थान पर दूसरे वकील साहब को नियुक्त करने गया तब उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम माह फरवरी, 2014 में हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । आराजी उनके खाते में जरूर अंकित है परन्तु पारिवारिक विभाजन में अपीलान्ट के पूर्वजों को प्राप्त हुई थी । राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । दौराने दावा आराजी का विक्रय भूरया को कर दिया गया परन्तु भूरया का भी वादग्रसत आराजी पर कब्जा नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस ने भी वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं माना है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताते हैं परन्तु उन्होंने अपने कब्जे के समर्थना में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2012 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 के अनुसार वादग्रस्त आराजी लालूनाथ, बालूनाम के खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 524 की फोटो प्रति के अनुसार वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज किया गया है । इस प्रकार पत्रावली में जो राजस्व रिकॉर्ड पेश किया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि उनके 2/3 हिस्से के कब्जे काश्त में अप्रार्थी जबरन दखलन्दाजी करते हैं । अपीलान्ट अप्रार्थीगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है। अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से के सहखातेदार हैं और उनके द्वारा सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा बताया जा रहा है परन्तु अपने इस कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं की है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का 2/3 हिस्सा निहित है और सहखातेदारी की आराजी में जब एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को उसके हिस्से की सीमा तक कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते हैं तो उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में उनके हिस्से की सीमा तक अपीलान्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2012 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा